215/2021

8/22 वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थी एकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई,बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि ग्राम बलाऊ जाटी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 335 रकबा 232 बीधा भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 19 की सहखातेदारी में इन्द्राज है और सहखातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। क्योकि विधिवत बंटवाड़ा के बिना प्रत्येक खातेदारान का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है और मूलवाद में बटवाड़ा प्रस्ताव के आदेश पारित हो चुके है। ऐसी सूरत में इस स्टेज पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। जहां तक अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न है यह बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध जाता है। वकील प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया,जिससे स्पष्ट हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना अति आवश्यक हो। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज योग्य है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:06:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
08/9/22